राजस्थान सरकार
कार्मिक (क–2) विभाग

क्रमांकः–प. 2(1)कार्मिक/क–2/2014 पार्ट जयपुर, दिनांकः– 18.05.2015

1– समस्त अति० मुख्य सचिव/प्र० शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ठ शासन सचिव
2– समस्त विभागाध्यक्ष (संभागीय आयुक्त एवं जिला कलक्टर्स सहित)।

परिपत्र

कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 28.01.2014 के द्वारा राजस्थान विनिर्दिष्ट क्षेत्र अधीनस्थ, मंत्रालयिक एवं चतुर्थ श्रेणी (भर्ती एवं सेवा की अन्य शर्तें) नियम, 2014 जारी किये गये। इन नियमों के अनुसार अब अनुसूचित क्षेत्र में अधीनस्थ, मंत्रालयिक एवं चतुर्थ श्रेणी सेवाओं का अलग गठन कर दिया गया है। अब अनुसूचित क्षेत्र में उक्त सेवाओं में भर्ती इन नियमों के अन्तर्गत ही की जायेगी। अनुसूचित क्षेत्र की रिक्तियों के लिए केवल अनुसूचित क्षेत्र के निवासी ही पात्र होंगे, जबकि गैर अनुसूचित क्षेत्र की रिक्तियों के लिए अनुसूचित क्षेत्र सहित सम्पूर्ण राजस्थान एवं राजस्थान के बाहर के निवासी भी पात्र होंगे। दोनों तरह की रिक्तियों के लिए आरक्षण भी पृथक पृथक होगा एवं मेरिट निर्धारण भी पृथक से होगी। दोनों क्षेत्रों के लिए अलग अलग नियम बनाने के पश्चात् नियमों में शामिल पदनाम और सेवा के नाम भी अलग अलग होंगे। दोनों प्रकार की सेवाओं की भर्ती हेतु परीक्षा का आयोजन भी अलग अलग होना है। तद्नुसार रिक्तियों का निर्धारण भी अलग–अलग करना होगा।

इस क्रम में यह भी निर्णय लिया गया है कि अनुसूचित क्षेत्र के सभी अधीनस्थ, मंत्रालयिक एवं चतुर्थ श्रेणी सेवाओं और उनमें विद्यमान एवं सृजित होने वाले सभी पदों के बाद में (Suffix) कोष्ठक में 'अनु. क्षेत्र' (Scheduled Area) अलग से जोड़ा जावेगा, जबकि गैर अनुसूचित क्षेत्र में सेवा/पद–नाम यथावत रहेंगे। ताकि दोनों क्षेत्रों में विभिन्न पदों की भर्तियों को स्पष्ट रूप से पहचाना जा सके। यद्यपि दैनिक व्यवहार में पदनाम समान रह सकेंगे। इस प्रयोजन के लिए इन दोनों क्षेत्रों के केडर्स का विभाजन भी करना होगा।

अतः समस्त विभागों को निर्दिष्ट किया जाता है कि 'अनुसूचित क्षेत्र' और 'गैर–अनुसूचित क्षेत्र' में विभिन्न पदों की भर्ती प्रक्रिया शुरू करने से पूर्व सभी विभाग इन सभी सेवाओं का केडर विभाजन करते हुए दोनों में स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पदों की गणना करते हुए निम्न निर्धारित प्रोफॉर्मा में सूचना इस विभाग को शीघ्रातिशीघ्र भिजवाने का श्रम करें। भविष्य में सभी प्रयोजनों के लिए स्वीकृत पदों की संख्या तदनुसार ही मान्य होगी। अतः इसका विभागाध्यक्ष कार्यालय में 'स्थायी रिकॉर्ड' संधारण भी कर लेवें।

विभाग का नाम..

क्र. सं.	सेवा का नाम	पदनाम	ग्रेड–पे	विभाग में कुल स्वीकृत पद	कॉलम संख्या–5 के पदों में से		विशेष विवरण
					अनुसूचित क्षेत्र के पद	गैर अनुसूचित क्षेत्र के पद	
1	2	3	4	5	6	7	8

यह प्रक्रिया पूर्ण कर, रिक्त पदों की अभ्यर्थना नियमानुसार सम्बन्धित भर्ती निकाय (आयोग/बोर्ड/अन्य) को भेजने की कार्यवाही भी तत्परता से की जावे।

शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख सचिव, राज्यपाल, राजस्थान।
2. सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, राजस्थान।
3. उप सचिव, मुख्य सचिव/निजी सचिव, अति0 मुख्य सचिव गण।
4. सचिव, राज0 लोक सेवा आयोग, अजमेर।
5. सचिव, राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड, जयपुर।
6. पंजीयक, राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर।
7. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव

24/2015